

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 144 / 2021

(Bank Case)

GCMS NO. 2021 / 335

एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "एयू. फाईनैन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय-19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान में स्थित है।

- प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. रिया जुददीन पुत्र श्री कादर भाई (ऋणी-बंधककर्ता)
पता- मांगी लाल पंतग वाले के पास, मेहरा पाड़ा, बजाज खाना जिला कोटा राजस्थान -324006
दूसरा पता- शॉप नं. 202, सैकण्ड फ्लोर, जनकदीप कॉम्प्लेक्स, वल्लभबाड़ी लिंक रोड, गुमानपुरा कोटा राजस्थान-324007
2. जाकिर हुसैन पुत्र श्री अब्दुल कादिर (सह-ऋणी)
पता- मांगी लाल पंतग वाले के पास, मेहरा पाड़ा बजाज खाना जिला कोटा राजस्थान-324007

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री कुलदीप सिंह जादोन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 30.5 - 2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी " एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "एयू. फाईनैन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय-19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान में स्थित है, से प्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 28.02.2019 को 6,00,000/- रुपये (अक्षरे छः लाख रुपये) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में रिया जुददीन पुत्र श्री कादर भाई की सम्पत्ति शॉप नं. 202, सैकण्ड फ्लोर, जनकदीप कॉम्प्लेक्स बल्लभबाड़ी लिंक रोड गुमानपुरा कोटा राजस्थान-324007 की सम्पत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 209 स्क्वायर फुट है चतुर्थ सीमा- पूर्व में शॉप नं. 203, पश्चिम में शॉप नं. 201 उत्तर में शॉप नं. 223 दक्षिण में बालकनी रोड है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 31.01.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में बकाया राशि- 673860/- रुपये (अक्षरे छः लाख तहतर हजार आठ सो साठ रुपये) दिनांक 15.05.2021 तक शेष देय है व दिनांक 16.05.2021 से आगे का ब्याज व मय खर्च आदि सहित पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 15.05.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता


जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 15.05.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 15.05.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता रिया जुददीन पुत्र श्री कादर भाई की सम्पत्ति शॉप नं. 202, सैकण्ड फ्लोर, जनकदीप कॉम्प्लेक्स बल्लभबाड़ी लिंक रोड गुमानपुरा कोटा राजस्थान-324007 की सम्पत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 209 स्क्वायर फुट है चतुर्थ सीमा-पूर्व में शॉप नं. 203, पश्चिम में शॉप नं. 201 उत्तर में शॉप नं. 223 दक्षिण में बालकनी रोड है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 30-5-2022 को सुनाया गया।


(हरि मोहन मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)